

प्रेषक,  
जितेन्द्र कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
निदेशक,  
प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ०प्र०,  
लखनऊ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 16 अप्रैल, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उ०प्र० वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-46 के लेखाशीर्षक 2052 के अन्तर्गत सचिवालय सामान्य सेवायें-091-सम्बद्ध कार्यालय-04-प्रशासनिक सुधार निदेशालय के विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित कुल धनराशि ₹0 1,66,15,000.00 (रूपया एक करोड़ छ्ठा लाख पन्द्रह हजार मात्र) संलग्न विवरण के अनुसार आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं/मदों पर ही किया जाय और किसी भी दशा में धनराशि का उपयोग नई सेवाओं और मदों पर न किया जाय।
- (2) यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय।
- (4) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

16/94,दिनांक 06-06-1994 एवं कार्यालय जाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

- (5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- (6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग संलग्नक में दर्शायी गयी मदों में ही किया जायेगा, किसी भी दशा में धनराशि का डाइवरजन बिना शासन की पूर्व अनुमति के कदापि न किया जाय तथा किसी मद में कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में समयान्तर्गत शासन को समर्पित कर दी जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-46 के लेखाशीर्षक 2052 के अन्तर्गत सचिवालय सामान्य सेवार्ये-091-सम्बद्ध कार्यालय-04-प्रशासनिक सुधार निदेशालय के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय

(जितेन्द्र कुमार)  
प्रमुख सचिव

संख्या:-388(1)/43-1-19-30(13)/18,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखा-परीक्षा (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
8. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)  
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश सं0-388/43-1-19-30(13)/18, दिनांक 16 अप्रैल, 2019 का संलग्नक

(धनराशि लाख में)

| मद का नाम<br>1                                     | प्राविधानित धनराशि<br>2 | स्वीकृत धनराशि<br>3 |
|--|-------------------------|---------------------|
| 01-वेतन  | 100.00                  | 100.00              |
| 03-मँहगाई भत्ता                                    | 15.00                   | 15.00               |
| 04-यात्रा व्यय                                     | 2.00                    | 2.00                |
| 06-अन्य भत्ते                                      | 1.00                    | 1.00                |
| 07-मानदेय  | 0.05                    | 0.05                |
| 08-कार्यालय व्यय                                   | 0.50                    | 0.50                |
| 11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई                | 0.30                    | 0.30                |
| 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण                      | 1.00                    | 1.00                |
| 13-टेलीफोन पर व्यय                                 | 0.20                    | 0.20                |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद     | 4.00                    | 4.00                |
| 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान       | 1.00                    | 1.00                |
| 42-अन्य व्यय                                       | 0.10                    | 0.10                |
| 45-अवकाश यात्रा व्यय                               | 0.60                    | 0.60                |
| 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय           | 9.00                    | 9.00                |
| 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तद्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 0.50                    | 0.50                |
| 49-चिकित्सा व्यय                                   | 2.00                    | 2.00                |
| 51-वर्दी व्यय                                      | 0.15                    | 0.15                |
| 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)               | 5.75                    | 5.75                |
| 55- मकान किराया भत्ता                              | 6.00                    | 6.00                |
| 56- नगर प्रतिकर भत्ता                              | 2.00                    | 2.00                |
| 58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान                | 15.00                   | 15.00               |
| <b>योग</b>   | <b>166.15</b>           | <b>166.15</b>       |

(रूपया एक करोड़ छाँछठ लाख पन्द्रह हजार मात्र)

(सुनील कुमार)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।